प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 527 / 2023

अनवान : –

1. रामजीलाल पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रणजीत पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. जिन्द्रपाल पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. मोहनलाल पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमारी गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 21.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 91 / 85 की कुल 2.7820 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 278 / 278 की कुल 3.7140 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है।

रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 91 / 85 के खसरा न0 79 / 3 की कुल 2.7820 हैक्ट भूमि व रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 278 / 278 के खसरा न0 372 / 1 की 1.9604 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब काबिज है तथा खसरा न0 572 / 3 की 1.7536 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। इसी प्रकार वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:45 IST
Reason: SelfAttested

एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 91/85 की कुल 2.7820 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 278/278 की कुल 3.7140 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी [illegible] 1 के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी के [illegible] 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 91/85 के खसरा न0 79/3 की कुल 2.7820 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 278/278 के खसरा न0 372/1 की 1.9604 हैक्ट भूमि एवं खसरा न0 572/3 की 1.7536 हैक्ट कुल 3.7140 हैक्ट भूमि में से खसरा न0 572/3 की 1.7536 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खसरा न0 372/1 की 1.9604 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी । यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– मलवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 527/2023

अनवान : –

1. रामजीलाल पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रणजीत पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. जिन्द्रपाल पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. मोहनलाल पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 527 सन 2022 निर्णय दिनांक 21.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 91/85 के खसरा न0 79/3 की कुल 2.7820 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 278/278 के खसरा न0 372/1 की 1.9604 हैक्ट भूमि एवं खसरा न0 572/3 की 1.7536 हैक्ट कुल 3.7140 हैक्ट भूमि में से खसरा न0 572/3 की 1.7536 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खसरा न0 372/1 की 1.9604 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी । यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:45 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी